संशोधित स्मृति पत्र

(1) संस्था का नाम :: सुभाष एजूकेशनल सोसाइटी।

(2) संस्था का पता :: गाटा सं0 642 मुबारकपुर(प्रबन्धनगर) निकट–आई0आई0एम0 रोड़ जिला–लखनऊ।

(3) संस्था का कार्यक्षेत्र :: समस्त भारत वर्ष।

(4) संस्था के उद्देश्य

1–बौद्व धर्म एवं संस्कृति का संरक्षण प्रचार तथा प्रसार करना।

2–बौद्व धर्म के छात्र/छात्राओं के शैक्षिक उत्थान के लिये विद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना करना व उनका संचालन करना।

3–बौद्व धर्म के गरीब बच्चों की नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना।

4–बालक एवं बालिकाओं का सामाजिक,नैतिक,आध्यात्मिक,शैक्षिक व चारित्रिक विकास करना।

5–बौद्धिक विकास हेतु वाद विवाद प्रतियोगिता, सेमिनार, संगोष्ठी एवं जागरूकता शिविरों का आयोजन करना।

6–शैक्षिक विकास हेतु विद्यालय,महाविद्यालय व टेक्निकल विद्यालय/महाविद्यालय खोलना व नि:शुल्क संचालन करना।

7–शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयों/बालिका विद्यालयों,विकलांग विद्यालयों,अल्पसंख्यक विद्यालय,महिला विद्यालय, महाविद्यालय, कालेजों, डिग्री कालेज, मेडिकल कालेज, डेन्टल कालेज, यूनानी कालेज, नर्सिंग कालेज,होम्योपैथिक कालेज,आयुर्वेद कालेज,इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना करना जिसमें प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा की व्यवस्था शासन की अनुमति से करना।

8–समाज के बच्चे,आदिवासी,विकलांग एवं निराश्रित,अल्पसंख्यक बच्चों के लिये नि:शुल्क शिक्षा भोजन चिकित्सा एवं आवास की व्यवस्था करना।

9–समय–समय पर विचार गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन, खेलकूद, वाद विवाद प्रतियोगिता कवि सम्मेलन जागरूकता शिविर,उपभोक्ता जागरूकता शिविर,पल्स पोलियो प्रतिरक्षण शिविर स्वास्थ्य शिविर,नेत्र शिविर, रक्तदान शिविर,भण्डारे सामाजिक जागरूकता प्रदर्शनी आदि का आयोजन करना।

10–कम्प्यूटर शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना, तथा कम्प्यूटर शिक्षा, केन्द्रों की स्थापना व शिक्षा की व्यवस्था करना,तथा लोगों को इन्टरनेट, हार्डवेयर, साफ्टवेयर का प्रशिक्षण प्रदान कर उनमें रोजगार दिलाने हेतु प्रथक प्रयास करना।

11–महिलाओं/बालिकाओं/युवाओं को सिलाई, कढ़ाई,बुनाई, जरदोजी, शिल्पकला, हस्त शिल्प ललित कला,साहित्य,ब्यूटीशियन,संगीत नृत्य,थियेटर, मेंहदी, डान्स कम्पटीशन, फोटोग्राफी, क्रियेटिव राइटिंग जरी, चिकन,डाल मेकिंग,प्रिंटिंग,स्क्रीन प्रिटिंग,पेंटिग,वाल पेंटिंग आदि का नि:शुल्क प्रशिक्षण दिलाकर उनमें स्वावलम्बन की भावना जागृत करना।

12–समाज के निर्धन,निराश्रित,पिछड़े अन्धो मूक बधिर,कुष्ठ व विकलांगों महिलाओं,पुरूषों तथा बच्चों के लिये चिकित्सा,भोजन,वस्त्र दवायें छात्रवृत्ति एवं शासन द्वारा संचालित मिड डे मील की सुविधा एवं नि:शुल्क पुस्तकीय सहायता तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना एवं विभिन्न संक्रामक रोगों की नि:शुल्क चिकित्सा व्यवस्था तथा उनके उत्थान एवं विकास का हर सम्भव प्रयास करना।

13–अनुसूचित जातियों, अनसूचित जनजातियों,अल्पसंख्यकों,दलितों,पिछड़ी जातियों एवं शोषित वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान हेतु कार्य करना।

14–राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सदभाव शिविरों का आयोजन करना तथा लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करना भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु कार्य करना। भारतीय महापुरूषों के जीवन दर्शन एवं विचारों का प्रचार प्रसार हेतु कार्य करना।

पुनीत महावीर Ritu

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ

15–समाज कल्याण विभाग उ0 प्र0, केंद्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, कपार्ट, नाबार्ड, सिडवी,मानव संसाधन विकास मंत्रालय,आयूष मंत्रालय,जल संसाधन विभाग,गंगा पुनर्रूधान विभाग, यूनीसेफ,ड्वाकरा,सिफ्सा,सैफ इण्डिया, मौलाना अबुल कलाम आजाद फाउन्डेशन,नौराड,केयर,विश्व बैंक,सूडा,डूडा,अल्पसंख्यक विभाग, उ0प्र0 एवं केन्द्रीय महिला कल्याण निगम,पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय उ0प्र0, विकलांग कल्याण निदेशालय उद्यान विभाग राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, विकलांग विभाग द्वारा संचालित महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों तथा ग्रामीण एवं नगरीय विकास परियोजना, विकलांग कल्याण कार्यक्मों का प्रचार प्रसार करना।

16–प्रौढ़ शिक्षा,अनौपचारिक शिक्षा,विज्ञान शिक्षा,व्यवसायिक शिक्षा, इलेक्ट्रानिक शिक्षा,कृषि शिक्षा, टाइप–शार्ट हैण्ड शिक्षा,प्रतियोगितात्मक शिक्षा निःशुल्क दिलाने की व्यवस्था करना।

17–एड्स, कैन्सर, पोलियो,टी0बी0, हेपेटाइटिस,मधुमेह, आदि जानलेवा बीमारियों की पहचान व रोकथाम हेतु जागरूकता शिविरों के माध्यम से लोगों को सचेत करना।

18–पर्यावरण संरक्षण,नशा उन्मूलन, स्वास्थ्य कल्याण, टीकाकरण, कुष्ठ उन्मूलन,वैकल्पिक ऊर्जा विकास कार्यक्रम,वृक्षारोपण, सामाजिक वानिकी, पर्यटन शिक्षा, पर्यटन विकास,गरीबी उन्मूलन मलिन बस्ती विकास,हरियाली कार्यक्रम, प्रदूषण नियंत्रण,ऊसर बंजर भूमि सुधार,भूमि विकास बागवानी विकास,सौर ऊर्जा,वैकल्पिक ऊर्जा विकास,आपदा प्रबन्धन,गौ पालन,मधुमक्खी पालन, पशु पालन,मत्स्यपालन,कुक्कुट पालन,पशु–पक्षी(जीव–जन्तु)एवं संरक्षण एवं निःशुल्क पुनर्वास आदि कार्यक्रमों का प्रचार व प्रसार करना।

19–जन हितार्थ निःशुल्क धमार्थ–चिकित्सालय,मोबाइल चिकित्सालय, अनाथालय छात्रावास,विधवा आश्रम,व्यायामशाला,वृद्ध–आश्रम, शिशुपालनगृह, बालवाडी, आंगनवाड़ी,अतिथि गृह आदि की निःशुल्क व्यवस्था करना।

20–दैवीय आपदाओं जैसे बाढ़,सूखा, अग्निकांड़, भूकम्प,ओलावृष्टि,तूफान आदि के समय पीड़ितों की हर सम्भव सहायता करना।

21–समाज के मेधावी एवं निर्धन छात्रों को निःशुल्क शिक्षा एवं पुस्तकीय सहायता तथा पुष्टाहार एवं शैक्षिक परिभ्रमण की व्यवस्था करना।

22–ट्राइसेम योजना/एकीकृत ग्राम्य विकास योजनान्तर्गत महिलाओं एवं बेरोजगारों को निःशुल्क व्यवसायिक प्रशिक्षण दिलाकर स्वावलम्बी बनाना।

23–नयी युवा प्रतिभावों को सांस्कृतिक कार्यकमों द्वारा प्रोत्साहित करना तथा भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे युवा कल्याणकारी कार्यक्मों का प्रचार–प्रसार करना।

24 ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर,शैक्षिक कार्यकमों का आयोजन करना तथा लोगों को रोजगार परक शिक्षा देते हुये उन्हे आत्मनिर्भर बनाना।

25–शारीरिक रूप से अपंग,विकलांग,निर्धन वृद्ध एवं असहाय लोगों की हर सम्भव सहायता करना।

26–तकनीकी शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना एवं उनमें गरीब एवं पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को निशुल्क प्रशिक्षण देना।

27–अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों एवं बच्चियों को हिन्दी,अंग्रेजी,उर्दू,अरबी,फारसी,कुरान आदि की शिक्षा देने की व्यवस्था करना, तथा उन्हे उच्च शिक्षा एवं निशुल्क तकनीकी शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना तथा उन्हे यथा सम्भव सहायता करना।

28–ग्रामीण स्वच्छता, शुद्ध पेयजल एवं सतही एवं भू–जल प्रबंधन (वाटर रीचार्ज पर कार्य करना) कार्यकमों का प्रचार–प्रसार करना तथा ग्रामीण अंचलों में तालाब, हैण्डपम्प, नाली,सम्पर्क मार्ग, सड़क लाईट की व्यवस्था हेतु प्रयास करना।

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ
15/11/18

पुनीत मधवीर Ritu

29—खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड उ0 प्र0 अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग/कमीशन/जिला उद्योग केन्द्र की प्रवृत्ति व पैटर्न के अनुसार ग्रामोद्यौगों,कुटीर उद्योगों,रेशम उद्योगों की स्थापना व प्रचार व प्रसार करना

30—महिलाओं पर हो रहें अत्याचारों जैसे महिला उत्पीड़न, महिला शोषण, महिला बाल शोषण, भ्रूण हत्या,घरेलू हिंसा,महिला वैश्या वृत्ति जैसी समाज में समस्त प्रकार की कुरीतियों को रोकने का हर सम्भव प्रयास करना तथा महिला स्वयं सहायता समूह बनाकर महिलाओं की समस्यओं का समाधान करने का प्रयास करना।

31—ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सभी वर्गो के छात्र छात्राओं को आई0ए0एस0,पी0सी0एस0 मेडिकल प्रवेश इन्जीनियरिंग, तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराना। तथा अन्य तकनीकी संस्थाओ जैसे बी0 बी0ए0, एम0बी0ए0,बैंकिंग,कोचिंग,एस0एस0सी0, एम0सी0ए0, एम0एस0सी0, बी0एड0,डी0एड0,बी0पी0एड0 एवं बी0टी0सी0, एल0एल0बी0, एल0एल0एम0, बी0एल0एल0एम0, मास कम्यूनिकेशन, टेली कम्यूनिकेशन आदि चलाने के लिये शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त उन्हे संचालित करना।

32—जड़ी बूटियों एवं प्राकृतिक बनौषध्यिों को उगाना एवं उनकी उपयोगिता के बारे में लोगों को जानकारी देना तथा जड़ी बूटियों की खेती करने हेतु कृषकों को निशुल्क प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था करना, तथा कृषि एवं ग्राम्य विकास हेतु सर्वेद्वाण शोध एवं अनुसधान कार्य, जैविक खेती का प्रचार प्रसार व क्रियान्वयन हेतु कार्य करना।

33—भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही स्टॅाटप इंडिया योजना के अन्तर्गत युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार उपलब्ध कराने में उनकी सहायता करना, तथा भारत सरकार द्वारा संचालित समस्त योजनाओं का संचालन करना।

34—आयुर्वेदिक,होम्योपैथी,नेचुरोपैथी एवं एलोपैथिक के नर्सिग,पैरामेडिकल,मेडिकल कालेज की स्थापना/खोलना शासन की पूर्व अनुमति से उनका संचालन करना।

35—आर्युवेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक चिकित्सालय शासन की पूर्व अनुमति से खोलना एवं संचालन करना।

36—पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय एवं कौशल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार प्रसार करना।

37—पशुचिकित्सा सम्बन्धी अस्पताल,पैरामेडिकल कॉलेज, शासन की पूर्व अनुमति से खोलना व संचालित करना।

हस्ताक्षर

1— Ashish

2— Ritu

3— पुनीत

4— महावीर

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ

सुभाष एजूकेशनल सोसाइटी

गाटा संख्या 642,मुबारकपुर(प्रबन्धनगर) निकट IIM रोड जिला लखनऊ

की प्रबन्धकारिणी समिति की सूची वर्ष :::2018–2019

क्र0 सं0	नाम/पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	श्री पुनीत कटियार पुत्र श्री एस0एल0कटियार	एम0आई0जी0–3,बर्रा–4 जिला कानपुर	अध्यक्ष	समाजसेवा
2	रितू सिंह पुत्री राजवीर सिंह	11/161,विकास नगर लखनऊ	उपाध्यक्ष	समाजसेवा
3	श्री अवनीश कुमार सिंह पुत्र स्व0 लाल सिंह	701,चेल्सिया टावर,ओमेक्स हाईट विभूतिखण्ड,गोमतीनगर,जिला लखनऊ	प्रबन्धक/ महासचिव	समाजसेवा
4	श्री सुनीत कुमार कटियार पुत्र जगदीश नारायण कटियार	एम0आई0जी–6,बर्रा–4,कानपुर नगर	उपप्रबन्धक/ उपमहासचिव	समाजसेवा
5	श्री मुन्ना लाल पुत्र श्री जगपाल	ग्राम व पोस्ट–गौसगंज हरदोई	कोषाध्यक्ष	कृषि
6	रूची कटियार पुत्री श्री अशोक कटियार	537 यू0/0013,ए0 भारत नगर लखनऊ	सदस्य	समाजसेवा
7	श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री मंगल	554/6471,छोटा बरहा आलमबाग जिला–लखनऊ	सदस्य	समाजसेवा

(सत्य प्रतिलिपि)

हस्ताक्षर

1– [signature]

2– Ritu

3– पुनीत

4– महावीर

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार

फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स

लखनऊ मण्डल लखनऊ

संशोधित नियमावली

(1) संस्था का नाम :: सुभाष एजूकेशनल सोसाइटी।

(2) संस्था का पता :: ग्राम व पोस्ट–कहली तेरवा गौसगंज तहसील–सण्डीला जिला–हरदोई।

(3) संस्था का कार्यक्षेत्र :: समस्त भारतवर्ष ।

(4) संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :

सदस्यता::

कोई भी भारतीय नागरिक जो रचनात्मक कार्यो मे समर्पित हो संस्था की नियमावली में विश्वास रखता हो की आयु 18 वर्ष से अधिक हो एक लिखित प्रार्थना पत्र देने के पश्चात प्रबन्धक/महासचिव की अनुमति से सदस्यता ग्रहण कर सकता है।

आजीवन सदस्य::

जो व्यक्ति संस्था को एक बार में रू0 10001(रूपया दस हजार एक) नगर या इतने ही मूल्य की चल या अचल सम्पत्ति निःस्वार्थ भाव से देगा वह संस्था का आजीवन सदस्य होगा परन्तु उक्त व्यक्ति के नाम का अनुमोदन प्रबन्धक/महासचिव द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा,तत्पश्चात प्रबन्धकारिणी समिति से सर्वसम्मति से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात ही आजीवन सदस्य के रूप में मान्यता मिलेगी।

सामान्य सदस्य

जो व्यक्ति संस्था के उद्देश्यों में आस्था रखने के साथ साथ रू0 101/–(एक सौ एक रूपये) वार्षिक सदस्यता शुल्क देगें वे संस्था के सामान्य सदस्य होगे।साधारण सदस्य 20 वर्ष की निरन्तर सेवा के उपरान्त आजीवन सदस्य बनाये जायेगें,परन्तु प्रबन्धक/महासचिव का पूर्व अनुमोदन व प्रबन्धकारिणी समिति का सर्वसम्मति से अनुमोदन आवश्यक होगा।

(5) सदस्यता की समाप्ति::

1–मृत्यु हो जाने पर।
2–पागल या दिवालिया हो जाने पर।
3–संस्था के उद्देश्यों के विपरीत हानिकर कार्य करने पर।
4–अविश्वास प्रस्ताव या त्याग पत्र पारित होने पर।
5–नियमिति रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर।
6–लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।
7–नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।

(6) संस्था के अंग::

(अ) साधारण सभा।
(ब) प्रबन्धकारिणी समिति।

(7) साधारण सभा::

गठन ::

संस्था के आजीवन एवं सामान्य सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

बैठकें::

साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

सत्य प्रतिलिपि

सूचना अवधि::

साधारण सभा की सामान्य बैठक कीं सूचना सभी सदस्यों को कम से कम 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना सन्देशवाहक द्वारा 07 दिन पूर्व देना आवश्यक होगा।

गणपूर्ति ::

साधारण सभा की गणपूर्ति कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी स्थगित बैठक के लिये कोरम का प्रतिबन्ध न होगा।

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि ::

संस्था का वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा,जिसकी तिथि प्रबन्ध कारिणी समिति के 2/3 सदस्यों के बहुमत से तय की जायेगी।

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य ::

1–प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।
2–संस्था का वार्षिक बजट पास करना।
3–संस्था का वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
4–संस्था की नीतियों का निर्धारण करना।
5– संशोधन प्रकिया साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से करना।
6–आजीवन/साधारण सदस्यों के निष्काशन/अविश्वास प्रस्ताव पर विचारो परान्त अनुमोदन देना।

(8) प्रबन्धकारिणी समिति ::

गठन ::

साधारण सभा द्वारा आजीवन सदस्यों में से प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव किया जायेगा आजीवन सदस्य उपलब्ध न होने की स्थिति में साधारण सभा के वरिष्ठतम सदस्यों (सदस्यता वर्ष के अनुसार) में से प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव किया जायेगा,जिसमें अध्यक्ष–एक,उपाध्यक्ष–एक,प्रबन्धक/महासचिव एक,उपप्रबन्धक/उपमहासचिव–एक,कोषाध्यक्ष–एक तथा अन्य दो सदस्य होगें,इस प्रकार कुल संख्या 07 होगी जो आवश्यकतानुसार प्रबन्धक/महासचिव के आदेशानुसार बढ़ाकर 11 तक की जा सकती है।

बैठकें ::

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में चार बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार सूचना देकर किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि ::

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कम से कम 07 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 03 दिन पूर्व दी जायेगी।

गणपूति

प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से दो तिहाई बहुमत आवश्यक होगा।

रिक्त स्थानों की पूर्ति ::

प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत कोई भी स्थान रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिये की जायेगी।

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
...मण्डल, लखनऊ

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य ::

1–संस्था की उन्नति के लिये आवश्यक कार्य करना।

2–संस्था का वार्षिक बजट एवं वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

3–संस्था का कार्य प्रबन्ध कार्य प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा होगा।

4–संस्था द्वारा सुभाष महाविद्यालय की शाखाएं खोलना व उनका पूर्ण संचालन करना।

5–संस्था के उददेश्यों की पूर्ति हेतु उ0 प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड,अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन,बैठकों सार्वजनिक संस्थाओं,दानशील व्यक्तियों हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग,केन्द्रीय एवं समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड,मानव संसाधन विकास मंत्रालय,स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य वित्तीय श्रोतो से दान अनुदान प्राप्त करना।

6–उददेश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार,केन्द्र सरकार,स्थानीय निकायों दानशील व्यक्तियों व्यवसायिक प्रतिष्ठानों सरकारी/अर्द्वसरकारी विभागों समाज कल्याण विभाग उ0 प्र0/केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण बोर्ड,कपार्ट,अवार्ड,नावार्ड सिडवी,मानव संसाधन विकास मंत्रालय,यूनीसेफ,डवाकरा,सिफ्सा सेफ इण्डिया नौराड,सूडा,डूडा विश्व स्वास्थ्य संगठन हेलेज इण्डिया,आक्सफेम इण्डिया,केयर बैंकों वित्तीय निगमों,राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं आदि से दान–अनुदान ऋण,चन्दा आदि प्राप्त करना एवं संस्था की सम्पत्तियों को गारन्टी गिरवी व बन्धक रखना।

7–संस्था द्वारा संचालित विद्यालय,महाविद्यालय,टेक्निकल महाविद्यालय के संचालन हेतु प्रबन्धकारिणी समिति का गठन करना।

कार्यकाल::

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

(9) प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य ::

अध्यक्ष

1–समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।

2–बैठकों के लिये दिनाकों का अनुमोदन करना,परिवर्तन करना और बैठकों को स्थगित करना।

3–समान मत होने पर एक निर्णायक मत देना।

उपाध्यक्ष

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करना व उसके कार्यो में सहयोग प्रदान करना।

प्रबन्धक/महासचिव

1–संस्था के कार्यो को मुख्य कार्यपालक के रूप में करना।

2–कर्मचारियों अध्यापकों की नियुक्ति,पदोन्नति,सेवामुक्ति एवं निलम्बन आदि करना।

3–सदस्यों के नामांकन पत्र पर विचार करना एवं अनुमोदन देना।

4–लेखों एवं विलेखों पर हस्ताक्षर करना।

5–बिल बाऊचर,चेक,आहरण पत्र,ऋण पत्रों,नियुक्ति पत्रों आदि पर हस्ताक्षर करना।

6–सस्था की चल एवं अचल सम्पत्ति की सुरक्षा व देखरेख करना।

7–पक्ष–विपक्ष के मुकदमों की पैरवी करना।

8–संस्था के आडिट की व्यवस्था करना।

सत्य प्रतिलिपि
वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स

9-राज्य सरकार व केन्द्र सरकार से दान अनुदान प्राप्त करना।
10-संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।
11-बैठक में शान्ति व्यवस्था बनाये रखना।
12-सदस्यों व पदाधिकारियों को बैठकों की सूचना देना।
13-पिछली कार्यवाही बैठक में पढ़कर सुनाना व लिपिबद्व करना।
14-समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
15-पारित बजट के अर्न्तगत व्यय की स्वीकृति देना।
16-साधारण/आजीवन सदस्यों के विरूद्व अविश्वास प्रस्ताव/निष्काशन प्रस्ताव प्रबन्धकारिणी समिति/साधारण के समक्ष प्रस्तुत करना।

उपप्रबन्धक/उपसचिव

प्रबन्धक/महासचिव की अनुपस्थिति में उसके सभी अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्वहन करना व उसके कार्यो में सहयोग देना।

कोषाध्यक्ष

1-आय व्यय का लेखा जोखा रखना ।
2-प्रबन्धक/महासचिव की अनुमति से सदस्यता शुल्क प्राप्त कर यथाविधि रसींदे देना तथा पूर्ण ब्योरा प्रबन्धक/महासचिव को देना।
3-प्रबन्धक/महासचिव द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का नियमानुसार भुगतान करना।

(10) संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रकिया

संस्था के नियमो एवं विनियमों में संशोधन प्रकिया साधारण सभा के 2/3 सदस्यों से करना।

(11) संस्था का कोषः:

संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका आहरण प्रबन्धक/महासचिव या उसके द्वारा अधिकृत उपाध्यक्ष द्वारा आहरित किया जायेगा।

(12) संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण(आडिट)

संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण वर्ष योग्य आडीटर द्वारा कराया जायेगा।

(13) संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्व अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्वः:

संस्था द्वारा होने वाले पक्ष-विपक्ष के मुकदमों की पैरवी प्रबन्धक/महासचिव या उसके द्वारा अधिकृत अन्य किसी व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

(14) संस्था के अभिलेखः:

अ-सदस्यता रजिस्टर
ब-कार्यवाही रजिस्टर
स-स्टाक रजिस्टर
द-कैश बुक आदि।

(15) संस्था का विघटन तथा विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अर्न्तगत की जायेगी ।

दिनांक (सत्य प्रतिलिपि)

हस्ताक्षरः:

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स